

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1150

दिनांक 23/05/2022

प्रार्थी :-

1. हेमाराम पुत्र आईदानराम  
जाति जाट, निवासी डउकियों की बस्ती  
(बीजराड), तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1.देदाराम 2.खीयाराम पि.सुखाराम 3.देवाराम  
4.बांकाराम 5. भूराराम पि.प्रहलादराम  
6.हनुमानराम पुत्र सालूराम 7.मोटाराम  
8.हनुमानराम पि.दानाराम 9.विरमाराम  
10. बुधाराम पि. गुमनाराम 11.रेखाराम  
12.विरधाराम पि.आसूराम 13.चेनाराम पुत्र  
आईदानराम, जाति जाट,  
निवासी डउकियों की बस्ती  
14.अणदाराम पुत्र आईदानराम, जाति जटिया,  
निवासी बांकलसर बस्ती, चौहटन

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 90/2018

दिनांक : 06.05.2022

### आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा डउकियों की बस्ती के खेत खसरा सं. 360 रकबा 05.04 बीघा, खसरा सं. 366 रकबा 14.03 बीघा, खसरा सं. 978/262 रकबा 05.13 बीघा, खसरा सं. 1107/369 रकबा 20.07 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे |

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1151 to 1154

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी हेमाराम
3. विप्रार्थीगण देदाराम बगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 23/05/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन